



फैक्स Fax : 0172-2604671
दूरभाष Telephone : 2600031, 2602607
Email : phc.gdc soi@gov.in

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ जी0 डी0
सर्वे कॉम्प्लैक्स, दक्षिण मार्ग, सेक्टर 32-ए,
चण्डीगढ़-160030
Punjab, Haryana, Himachal Pradesh & Chandigarh
GD,
Survey Complex, Dakshin Marg, Sector 32-A
Chandigarh-160 030

सं0 No. प्रशा. 2343 / 11-जी-2 (आर0टी0आई0)

दिनांक:- 10 -04-2024

सूचना

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं लिंक अधिकारी का नामित किया जाना ।

भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून के विभागीय आदेश सं0. 08/डब्ल्यू-1526/709-जी. डी.सी. दिनांक 19-03-2024 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी., चण्डीगढ़ का विलय दिनांक 01-04-2024 से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक निदेशालय में हो जाने के कारणवश इस केन्द्र के श्री आशीष कुमार दत्ता, अधिकारी सर्वेक्षक को तत्काल प्रभाव से "केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी" तथा श्री राज कुमार गुप्ता, अधिकारी सर्वेक्षक को तत्काल प्रभाव से "लिंक अधिकारी" के रूप में नामित किया जाता है जिनसे सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है :-

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी	लिंक अधिकारी
नाम :- श्री आशीष कुमार दत्ता	नाम :- श्री राज कुमार गुप्ता
पदनाम :- अधिकारी सर्वेक्षक	पदनाम :- अधिकारी सर्वेक्षक
पता :- पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक निदेशालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, दक्षिण मार्ग, सेक्टर 32-ए चण्डीगढ़ ।	पता :- पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक निदेशालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, दक्षिण मार्ग, सेक्टर 32-ए चण्डीगढ़ ।
दूरभाष सं०:- 0172-2600031	दूरभाष सं०:- 0172-2600031
ई-मेल :- phc.gdc soi@gov.in	ई-मेल :- phc.gdc soi@gov.in
फैक्स :- 0172-2604671	फैक्स :- 0172-2604671

(इंद्रजीत कुमार वर्मा)
अधीक्षण सर्वेक्षक

कृते निदेशक, पंजाब, हरि., हिमाचल प्रदेश एवं
चण्डीगढ़ भू-स्थानिक निदेशालय,

वितरण :-

1. भारत के महासर्वेक्षक को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, सर्वे आफ इण्डिया वेबसाईड द्वारा राष्ट्रीय भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. श्री आशीष कुमार दत्ता, अधिकारी सर्वेक्षक को अनुपालनार्थ ।
4. श्री राज कुमार गुप्ता, अधिकारी सर्वेक्षक को अनुपालनार्थ ।
5. केन्द्र के समस्त स्कन्धों/अनुभागों के प्रभारियों को सूचनार्थ ।
6. भण्डारपाल को इस अनुदेश के साथ कि वे इस सम्बन्ध में नोटिस बोर्ड पर संशोधन करवाने की कार्यवाही करें ।